

कार्यालय सहायक अभियंता  
निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, गाजियाबाद।

पत्रांक: 382/कम्प

दिनांक: 20/01/2014

सेवा में,

प्रबन्धक

जी०एस० मॉडल स्कूल

गांव-खोड़ा, जिला- गाजियाबाद, उ०प्र०।


विषय: माननीय सर्वाच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं०: 483/2004 अवनीश बनाम यूनिचन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों में भवन सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड सन् 2005 के विषय में।

संदर्भ: आपका पत्रांक दिनांक शून्य।

महोदय,

आपके स्कूल जी०एस० मॉडल स्कूल, गांव-खोड़ा, जिला-गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। उपरोक्त विद्यालय में आर०सी०सी० के बीम व लैन्टर में भी आर०सी०सी०टी० का प्रयोग हुआ है। अतः विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड सन् 2005 के मानकों के अनुसार सही पाया गया है। अतः विद्यालय को नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

भविष्य में उक्त विद्यालय में कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है तो नेशनल बिल्डिंग कोड सन् 2005 के मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

  
अवर अभियंता  
निर्माण खण्ड-2, लो० नि० वि०  
गाजियाबाद

ANKITA  
LF-012